उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग−3 संख्याः– **(०८९ १** ∕ 36−3−2022−14(सा0) ⁄ 2019 लखनऊ : दिनॉंक **:24्**जून, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है की धारा 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये के दिनांक से तीन दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं–

संक्षिप्त नाम और विस्तार	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुकान और
	वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली,
	2022 कही जायेगी।
	(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के
	दिनाँक से प्रवृत्त होगी।
नियम 2—क का संशोधन	2- उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान
	(संशोधन) नियमावली, 1963 में, नियम–2क
	में:—
- 1°	(एक) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम विद्यमान
	उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया
	गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः–
स्तम्भ–एक	स्तम्भ–दो
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
प्रत्येक दुकान या व्यापारिक स्थापन का स्वामी	(2). प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का
उक्त अधिनियम की धारा–4(ख) की उपधारा	स्वामी, उक्त अधिनियम की धारा 4(ख) की उपधारा
(1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपनी	(1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नीचे यथा
दुकान या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के	विनिर्दिष्ट और श्रमायुक्त द्वारा यथा विहित अपेक्षित
लिए सम्बद्ध निरीक्षक के प्रारुप (ठ) में	रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने पर अपनी
अभ्यावेदन करेगा। अभ्यावेदन स्वामी द्वारा	दुकान या अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन
हस्ताक्षरित किया जायेगा और पंजीकरण शुल्क	करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों
जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, के संदाय के	की अधिकतम संख्या पर फीस एक बार ही

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम संशोधन) नियमावली, 2022

E/vikalp 2022 UP Shop Act Ammendment

सबूत में सम्बद्ध निरीक्षक के पक्ष में ट्रेजरी चालान / बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित) के साथ होगा। उस वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान जिसके बारे में पंजीकरण चाहा गया है, किसी दिवस पर दुकान या व्यापारिक स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि को विनिश्चित करने के लिए विचार में ली जायेगी।					उद्गृ	हेत की जारे	गेगी ।		
		ਮਾ	ग -।				भाग	т-1	
क्रम	दुकान की		व्यापारिक	प्रति	का	टकान की	2293		रजिस्ट्री
क्रम सं0	थुयगेन यग श्रेणी	वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग का शुल्क	खापारिक स्थापन की श्रेणी	त्रात वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग का शुल्क	क्रम संख्या	दुकान की श्रेणी	करण हेतु एकमुश्त फीस	अधिष्ठान की श्रेणी	करण हेतु एकमुश्त फीस
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	बगैर किसी कर्मचारी के	40	बगैर किसी कर्मचारी के	80	1.	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	2250	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	4500
2.	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	150	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	300	2.	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	4500	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	6000
3.	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	300	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	400	3.	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	7500	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	15000
4.	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	500	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	1000	4.	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	15000	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	30000
5.	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	1000	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	2000					
	भाग-II						भाग	-11	
L	kalp 2022 UP Shop Act Ammendment								

E/vikalp 2022 UP Shop Act Ammendment

.

क्रम		रु0	क्रम			रु0
सं0			संख्या			
1.	व्यापारिक स्थापन जो कि रंगशाला या चलचित्र के लिए या किसी आमोद प्रमोद या मनोरंजन या बारात घर या या अतिथिगृह के रुप में प्रयुक्त किया जाता है।	1000	1.	के लिए सार्वजनिव मनोरंजन अतिथिगृह जाता है।	रंगशाला या चलचित्र या किसी अन्य क आमोद प्रमोद य या बारात घर या य के रुप में किय	L L L
2.	तीन तारांकित स्तर तक का होटल	2000	2.	तीन सिल होटल	तारा स्तर तक क	30000
3.	चार या पॉच तारांकित होटल या समान स्तर का होटल	5000	3.		पॉच तारांकित होटल स्तर का होटल	75000
4.	1 से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली पंजीकृत कम्पनी का स्वामित्व रखने वाली कोई दुकान या व्यापारिक स्थापन	1000	4.	नियोजित रजिस्ट्रीकृ स्वामित्व	25 कर्मचारियों के करने वाली त कम्पनी क रखने वाली कोई वाणिज्य अधिष्ठान	r r
5.	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान / अधिष्ठान नीचे स्तम्भ 1 दिये गये विद्यम	2000	5.	गैर बैंकिं अधिष्ठान	ग वित्तीय संस्थान/	

(दो) नीचे स्तम्भ 1 दिये गये विद्यमान उपनियम (4) तथा (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

स्तम्भ–1	
विद्यमान उपनियम	

दुकान या व्यापारिक स्थापन का हर एक

स्वामी अपनी दुकान या व्यापारिक स्थापन का

पंजीकरण पाँच वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत

करवाएगा और नवीनीकरण की स्थिति में पॉच

वित्तीय वर्षों के लिए नवीनीकृत करवायेगा

जोकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अगले

नवीनीकरण के समय विहित शुल्क के भूगतान

पर अगले 10 वर्षों तक के लिए हो सकता है।

ऐसी दुकान या व्यापारिक स्थापन जो कि

वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, केवल उस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क का

संदाय करेंगे जिसके लिए संविदा की गयी है।

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

4(एक) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण एक बार करवाएगा। ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, उस वर्ष के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और उपरोक्त विहित फीस के पन्द्रहवें (1/15) भाग का भुगतान करेंगे।

(दो) दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो पूर्व से पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं उनका नवीकरण, नियम 2क के उपनियम (2) के अधीन विहित फीस का भुगतान करने पर किया जाएगा।

	किया जाएगा।
धारा 4—ख के अंतर्गत अनुदत्त धारा 4(ग)	निकाल दिया गया
के अंतर्गत नवीकृत हर एक पंजीकरण	
प्रमाण–पत्र इतने वित्तीय वर्षे के लिए वैध	
बना रहेगा जितने के लिए यह पंजीकृत या	
नवीकृत किया जाता है।	

उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः–			
पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीकरण	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम		
(i) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए	(7) निकाल दिया गया		
सादे कागज पर उसमें स्वामी का नाम,			
दुकान/व्यवसायिक स्थापन के नाम और पते			
और कर्मचारियों की संख्या का कथन करते			
हुए प्रत्येक अभ्यावेदन सम्बद्ध निरीक्षक को			
किया जाएगा और विहित शुल्क के साथ			
होगा। नवीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप 'द' में			
होगा ।			
(ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए			
प्रभारित शुल्क वही होगी जो कि उसके			
अनुदान के लिए होगी।			
पंजीकरण प्रमाण–पत्र और इसके नवीकरण के	(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और इसके नवीकरण		
लिए अभ्यावेदन पर विलम्ब शुल्क	के लिए आवेदन पर विलम्ब शुल्क		
यदि दुकान् या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के	यदि किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के		
लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 4-ख की	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा		
उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर	4-ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि		
प्राप्त नहीं की जाती है अथवा पंजीकरण के	के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसा		
नवीकरण के लिए अभ्यावेदन उपनियम 7 के	रजिस्ट्रीकरण, विहित शुल्क के अतिरिक्त प्रति माह		
अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं की	रजिस्ट्रीकरण फीस या उसके आंशिक भाग के एक		
जाती है तब ऐसी पंजीकरण या नवीकरण	प्रतिशत की दर से विलम्ब फीस का भुगतान किये		
यथास्थिति पंजीकरण या नवीकरण शुल्क 12%	जाने पर ही किया जायेगा।		
प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग की दर से विहित			
शुल्क से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के भुगतान पर			
किया जाएगा। विलम्ब शुल्क अभ्यावेदन के साथ			
होगी ।	<u>\</u>		
	आज्ञा से,		

(तीन) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) तथा (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया

सुरेश चन्द्रा अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 089 / 36-03-2022 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 जून, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतिया श्रम अनुभाग–3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ को एवं 250 प्रतियॉ श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर पेटी संख्या–220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
- 3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से (राजेन्द्र सिंह) विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. (089/XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019 dated 29 June, 2022:

NOTIFICATION

No. (089/XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019 Lucknow; Dated 29 June , 2022

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962), hereinafter referred to as the "said Act", read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) with a view to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Niyamavali, 1963, is hereby published as required under sub-section (3) of section 40 of the said Act for the information of the general public and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Shram Anubhag-3, Bapu Bhawan, Lucknow. Only those objections and suggestions which are received within three days from the date of publication of this notification in the Gazette, shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijiya Adhisthan Niyamawali, 1963:

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN (NAVAM SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2022

Short title and commencement

1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Navam Sanshodhan) Niyamawali, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Niyamawali,2-A1963 in rule 2-A:-

(i) for the existing sub-rule (2) set out in Column-I below, the sub- rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rule

(2) The owner of every shop or commercial establishment shall within the period as specified in sub-section (1) of section 4-B of the said Act, make an application in Form "L" to the Inspector concerned for registration of his shop or commercial establishment. The E/vikalp 2022 UP Shop Act Ammendment

COLUMN -II Sub-rule as hereby substituted

(2) The owner of every shop or commercial establishment shall. within the period as specified in subsection (1) of section 4-B of the said make an application Act, for registration of his shop or application shall be signed by the owner and accompanied by a Treasury Challan/Bank Draft (crossed) in favour of the Inspector concerned in proof of payment of registration fee as specified below. The maximum number of employees employed in the shop or commercial establishment on any day during the financial year in respect of which the registration is sought will be taken into consideration for deciding the amount of fee leviable.

PART I

establishment on payment of requisite registration fee as specified below and in the manner as prescribed by the Labour Commissioner. The fee will be levied one time only on maximum number of employees employed during finanical year.

PART I

Sl no.	shop	financi al year of part of the year	establishme nt	financia l year of part of the year	no.	Category of shop	for registrat ion		
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	With no employee	40	With no employee	80	1.	Employin g 1 to 5 employees	2250	Employing 1 to 5 employees	4500
2.	Employing 1 to 5 employees	150	Employing 1 to 5 employees	300	2.	Employin g 6 to10 employees		Employing 6 to 10 employees	6000
3.	Employing 6 to 10 employees	200	Employing 6 to 10 employees	400	3.	Employin g 11 to 25 employees		Employing 11 to 25 employees	15000
4.	Employing 11 to 25 employees	400	Employing 11 to 25 employees	1000	4.	Employin g more than 25 employees	15000	Employing more than 25 employees	30000
5.	Employing more than 25 employees	500	Employing more than 25 employees	2000					

PART II

PART II

	FARI II			PARIII	
SI		Rs.	SI		Rs.
no.			no.		
	Commercial establishment which is used as theatre or cinema or for any other public amusement or entertainment.			Commercial establishment which is used as theatre or cinema or for any other public amusement or entertainment or Barat Ghar or Guest house	15000
	Hotel up to three-starred standard	2000	2.	Hotel up to three-starred standard	30000

E/vikalp 2022 UP Shop Act Ammendment

	Four or five-starred hotels or	5000	1000000000	Four or five-starred hotels or	75000
	hotels of like standard			hotels of like standard	
4.	Any shop having ownership of	1000	4.	Any shop or commercial	15000
	registered company or any			establishment having	
	commercial			ownership of registered	
	establishment employing 1 to			company employing 1 to 25	
	25 employees			employees	
5.	Non-Banking Financial	2000	5.	Non-Banking Financial	30000
	Institution/ Adhishthan			Institution/ Adhisthan	

(ii) for the existing sub-rules (4) and (5) set out in Column-I below, the sub- rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rules

(4) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered for five financial years and, if it is a case of renewal, renewed for five financial years which may be up to ten financial years at the time of next renewal under this Act on payment of prescribed fee. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall pay the prescribed fee for that financial year only for which the contract has been given.

(5) Every registration certificate granted under section 4-B or renewed under section 4-C shall remain valid for such number of financial years, as it is registered or renewed for.

COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted

(4) (i) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered onetime. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall apply for licence for that year and shall pay one-fifteenth (1/15 th) of the above prescribed fee.

(ii) The shops and commercial establishments which are already registered for five years shall be renewed once on deposition of fee prescribed under sub-rule (2) of rules 2-A.

(5) Omitted

(iii) for the existing sub-rules (7) and (8) set out in Column-I below, the sub- rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rules

(7) Renewal of registration Certificate:-

(i) Every application for renewal of a registration certificate may be made on plain paper stating therein the name of owner, name and address of shop/ commercial establishment and number of employees, to the Inspector concerned and shall be accompanied by the prescribed fee. The renewal of the registration certificate shall be in For 'M'.

E/vikalp 2022 UP Shop Act Ammendment

COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted (7) Omitted

(ii) The fee chargeable for renewal of a registration certificate shall be the same as for the grant thereof.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act or an application for renewal of the registration is not received within the period specified in sub-rule (7), such registration or renewal, as the case may be, shall be made only on the payment of a late fee at the rate of $12\frac{1}{2}$ percent of the fee of registration or renewal, per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany the application.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act, as the case may be, such registration shall be made only on payment of a late fee at the rate of one percent of the fee of registration per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany the application.

By order,

(Suresh Chandra) Additional Chief Secretary.